KALAWATI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTER & HOSPITAL GORHA, KASGANJ (U.P) 207123 IPD PATIENT 1 APRIL 2020 TO 30 APRIL 2020			
		DEPARTMENT	
		KAYACHIKITSA	
PANCHKARMA			
SHALYA	By the order of District Magistrate letter no.26/S.TD.M2020 dated 26/3/20 Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital , Gorha , Kasganj become Quarantine centre		
SHALAKYA	COVID-19 Level -1, So no OPD,IPD was done during the period from27/3/20 to 07/02/21		
PRASUTI & STRI ROGA			
KAUMARBHRITTYA			



## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

6 / एस०टी०-डी०एम०-2020

दिनांक:- 26 मार्च, 2020

## आदेश

त्र स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण mic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक ट. 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड—19 विनियमावली,2020 एवं शासनादेश 25 / /एक—11—200—रा0—11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के घ अधिनियम 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा—2 के अन्तर्गत कोविड—19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया

जक्तानुसार कोरोना कोविड—19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद में वेकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज की प्रावश्यकता के दृष्टिगत कोविड—19 के संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार/ न क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च हॉस्पीटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत करते हुए एल—1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।

कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा गंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार एवं बचाव तथा हेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन किए जाने वाले डिकल कालेज भवन में मूल–भूत आवश्यकताऐं उपलब्ध कराऐंगे तथा मुख्य री कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की इयूटी कलावती आयुर्वेदिक ज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा कासगंज पर आवश्यकतानुसार रेचत करेंगे तथा भर्ती मरीजो के उपचार एवं देखभाल का दायित्व मुख्य री कासगंज का होगा।

गदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए०के०श्रीवास्तव) अपर जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

जस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ग्रीह्मक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कत्साधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ। प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल. नपद— कासगंज को अनुपलानार्थ। बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कासगंज।



